न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 05/2017/निगरानी

1 सवाई सिंह
2 देवी सिंह — पुत्रगण पेम सिंह
3 कर्ण सिंह
4 गुलाब सिंह
5 भंवर कंवर पत्नी समान सिंह
6 देवेन्द्र सिंह पुत्र समान सिंह
7 ज्ञान कंवर
8 मैना कंवर — पुत्रिया समान सिंह
9 संतोष कंवर

समस्त जाति राजपुत निवासीगण खुर्दी तहसील धोद जिला सीकर

निगरानीकर्तागण

बनाम

1 प्रहलाद सिंह
2 जगमाल सिंह — पुत्रगण लक्ष्मणसिंह
3 हनुमान सिंह

समस्त जाति राजपुत निवासीगण खुर्दी तहसील धोद जिला सीकर

4 ग्राम पंचायत फतेहपुरा जरिये सरपंच तहसील धोद जिला सीकर

गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्व पट्टा संख्या 3 दिनांक 03.08.1999 द्वारा ग्राम पंचायत फतेहपुरा पंचायत समिति धोद

वकील प्रार्थी श्री बजरंग सिंह राजपूत
वकील अप्रार्थी श्री भगवान सिंह धायल

निर्णय दिनांकः—25.10.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रहलाद सिंह ने अपने पुख्ता आवासीय मकान का पट्टा बनवाने हेतु न्यायालय ग्राम पंचायत फतेहपुरा के समक्ष आवेदन पेश किया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 4 सरपंच ने नियमानुसार कार्यवाही किये जाने बाबत लिखा जाकर पंचायत बैठक दिनांक 13.06.1999 की पंचायत बैठक में 15.06.1999 का निर्मित मकान का नक्शा पेश किया गया जिसकी नाप व सीमाए नजरी नक्शा में अंकित की गई। जिसको सलंग्न पत्रावली किया जाकर मौका रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करने बाबत कहा गया, जो पंचायत बैठक दिनांक 04.07.1999 को रिपोर्ट मौका निरीक्षण दिनांक 03.07.1999 की पेश की गयी। जिसको पत्रावली सलंग्न किया जाकर के 30 दिन का आपत्ति नोटिस जारी किये जाने की हिदायत दी गई जो दिनांक 04.08.1999 की पंचायत बैठक में पेश होने का हवाला दिया गया है। जिसमें कोई आपत्ति नहीं होने का अंकन किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में सर्वसम्मति से अप्रार्थी संख्या 1 का 50 वर्ष पुराना पैतृक कब्जा मानकर पट्टा शुल्क 200/— रूपये लिये जाकर पट्टा जारी किये जाने बाबत निर्णय किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त सम्पदा पैतृक है जो अप्रार्थी संख्या 1 की अकेले की सम्पदा नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अप्रार्थी संख्या 1 के सगे भाई है। जिनकी सहमति भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने बाबत प्राप्त भी की गई है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 के अकेले की सम्पति, कब्जा व मालिकाना हक साबित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि वादग्रस्त सम्पदा ग्राम खुर्दी की

वादग्रस्त सम्पदा कहा पर स्थित है उसका उल्लेख नहीं है एवं ना ही मौका निरीक्षणकर्तागण ने मौका देखने से पूर्व किसी को सूचना व नोटिस नहीं दिया है। ना ही मौका निरीक्षण रिपोर्ट में मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये है। इस प्रकार से पुरी कार्यवाही साजसी पूर्वक गुपचुप में अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी करने के उद्देश्य से रिपोर्ट तैयार की गई है।

उक्त वादग्रस्त सम्पदा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की अविभक्त भूमि खसरा संख्या 100 रकबा 1.06 है0 स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बहिस्सा 1/2 शेष हिस्सा 1/2 के हिस्सा के प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 व प्रार्थी संख्या 6, 7, 8 व 9 संयुक्त रूप से बराबर बराबर हिस्सा के खातेदार काश्तकार है जिसमें विवादित आवासीय मकान निर्मित है। एसी स्थिति में जारी किया गया पट्टा ग्राम खुर्दी की आबादी भूमि में अवस्थित नहीं होकर काश्त की भूमि में निर्मित होने के कारण पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं होने से पट्टा निरस्त होने योग्य है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 1.06 है0 के सम्बंध में सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर के समक्ष मुकदमा संख्या 302/2015 प्रहलाद सिंह बनाम भंवर कंवर वाद बटवारा का प्रस्तुत होकर निर्णय दिनांक 27.05.2016 को जाकर रिकार्ड में दुरूस्ती कर दी गई जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील अधिकारी सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 03.03.2017 को मुकदमा संख्या 88/2017 प्रहलाद सिंह बनाम भंवर कंवर में निर्णय किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.05.2016 को खारिज किया जाकर अपील में अधिनस्थ न्यायालय को पत्रावली रिमाण्ड की जाकर पुनः निर्णय किये जाने बाबत निर्देशित किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा कार्यवाही में पंचायत बैठक में उपस्थित पंचगणों के कही पर भी हस्ताक्षर आदि नही है केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत फतेहपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 03.08.1999 को खारिज किये जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि उक्त पट्टा ग्राम खुर्दी की आबादी भूमि या खसरा नम्बर 133 किस्म गै.मु. आबादी की बजाय खसरा नम्बर 100 की भूमि में दिया गया है, जो कि आबादी भूमि न होकर खातेदारी की भूमि है। खातेदारी भूमि पर पट्टा देने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि उक्त पट्टा आबादी भूमि में ही दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से जाहिर है कि ग्राम पंचायत फतेहपुरा द्वारा जो पट्टा जारी किया हुआ है वो खसरा नम्बर 100 की भूमि पर जारी किया हुआ है तो वह भूमि खातेदारी की भूमि है एवं खसरा नम्बर 133 की भूमि पर दिया हुआ है तो वह भूमि खाता संख्या 1 की राजकीय भूमि है जो कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विधिवत रूप से पंचायत को हस्तांतरित नहीं होने से पंचायत को पट्टा देने को अधिकार नहीं है। अतः चुनौतिग्रस्त पट्टा संख्या 3 दिनांक 03.08.1999 निरस्त किया जाता है तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति धोद के माध्यम से ग्राम पंचायत फतेहपुरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः उभयपक्षों की सुनवाई करके एवं विधिसम्मत जांच की जाकर नियमानुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/10/17

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर